भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4068

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाएं

4068. श्री बलवंत बसवंत वानखडेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने मार्च, 2025 के अंत तक देश के सभी स्कूलों में पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में प्राप्त लक्ष्यों की संख्या क्या है और यदि नहीं, तो इसके राज्य-वार क्या कारण हैं;
(ग) पेयजल और स्वच्छता सुविधा के अभाव वाले स्कूलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार के पास इस संबंध में नया लक्ष्य निर्धारित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या केंद्र सरकार को वर्ष 2024-25 के दौरान इस संबंध में राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) राज्य-वार कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और उक्त प्रयोजन के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ) भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी में देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल जल कनेक्शन अर्थात् 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर, निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस:10500) के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य पेयजल का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को क्रियान्वित कर रही है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे और मूलभूत सुविधाओं

के निर्माण में सहायता करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम, समग्र शिक्षा योजना क्रियान्वित किया जाता है।

शिक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर, हर वर्ष की शुरुआत में, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएण्डबी) तैयार करते हैं। इन योजनाओं का मूल्यांकन/अनुमोदन परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों तथा बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। पेयजल और शौचालय सुविधाओं वाले और बिना पेयजल और शौचालय सुविधाओं वाले स्कूलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ङ) और (च) उल्लिखित अनुसार, राज्य अपने प्रस्ताव तैयार करते हैं और शिक्षा मंत्रालय में पीएबी के विचारार्थ प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2024-25 के दौरान स्वीकृत पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं का वित्तीय विवरण के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4068 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पेयजल और शौचालय की सुविधाओं वाले और बिना पेयजल और शौचालय सुविधा वाले सरकारी स्कूल

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल सरकारी स्कूल	पेयजल		शौचालय	
			सहित	रहित	सहित	रहित
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	342	342	-	342	-
2.	आंध्र प्रदेश	45,137	45,107	30	44,318	819
3.	अरुणाचल प्रदेश	2,985	2,353	632	2,891	94
4.	असम	45,490	44,266	1,224	44,864	626
5.	बिहार	75,558	75,355	203	75,299	259
6.	चंडीगढ़	123	123	-	123	-
7.	छत्तीसगढ़	48,743	48,731	12	48,523	220
8.	दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव	388	388	-	388	-
9.	दिल्ली	2,762	2,762	-	2,762	-
10.	गोवा	814	814	-	814	-
11.	गुजरात	34,699	34,687	12	34,594	105
12.	हरियाणा	14,562	14,508	54	14,377	185
13.	हिमाचल प्रदेश	15,380	15,376	4	15,306	74
14.	जम्मू एवं कश्मीर	23,173	22,439	734	22,106	1,067
15.	झारखंड	35,840	35,144	696	35,620	220
16.	कर्नाटक	49,679	49,477	202	49,375	304
17.	केरल	5,010	4,989	21	5,003	7
18.	लद्दाख	838	834	4	833	5
19.	लक्षद्वीप	38	38	-	38	-
20.	मध्य प्रदेश	92,695	91,264	1,431	92,075	620
21.	महाराष्ट्र	65,639	65,091	548	64,581	1,058
22.	मणिपुर	2,889	2,865	24	2,768	121
23.	मेघालय	7,783	3,908	3,875	7,317	466
24.	मिजोरम	2,563	2,296	267	2,482	81
25.	नागालैंड	1,960	1,178	782	1,809	151
26.	ओडिशा	49,072	48,520	552	48,476	596
27.	पुदुचेरी	422	422	-	422	-
28.	पंजाब	19,259	19,257	2	19,229	30
29.	राजस्थान	68,948	66,957	1,991	67,731	1,217
30.	सिक्किम	864	858	6	864	-
31.	तमिलनाडु	37,636	37,636	-	37,636	-
32.	तेलंगाना	30,023	28,164	1,859	27,899	2,124
33.	त्रिपुरा	4,262	3,523	739	4,125	137
34.	उत्तर प्रदेश	1,37,024	135,867	1,157	1,35,887	1,137
35.	उत्तराखंड	16,484	15,858	626	16,225	259
36.	पश्चिम बंगाल	83,302	83,000	302	83,284	18
	भारत	**10,22,386**	**10,04,397**	**17,989**	**10,10,386**	**12,000**

स्रोत: यूडीआईएसई+ 2021-22

अनुबंध-II

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4068 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2024-2025 के दौरान अनुमोदित पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं (प्राथमिक + माध्यमिक + वरिष्ठ माध्यमिक)

वित्त लाखों में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पेयजल		लड़कों के शौचालय		लड़कियों के शौचालय	
		स्वीकृत	वित्तीय स्वीकृत	स्वीकृत	वित्तीय स्वीकृत	स्वीकृत	वित्तीय स्वीकृत
1	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	58	232.00	83	332.00
2	असम	1,103	1103.00	687	2061.00	608	1933.44
3	बिहार	282	282.00	2,754	6548.43	3,174	7985.32
4	छत्तीसगढ़	30	45.00	311	562.91	142	257.02
5	गुजरात	0	0.00	252	667.80	217	703.08
6	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	28	42.00	16	24.00
7	जम्मू एवं कश्मीर	0	0.00	220	598.20	159	278.96
8	झारखंड	158	132.33	208	601.32	127	379.73
9	कर्नाटक	3	6.30	0	0.00	0	0.00
10	केरल	9	4.05	143	286.00	177	389.40
11	लद्दाख	6	10.65	18	47.51	18	37.98
12	मध्य प्रदेश	55	137.50	809	2328.32	876	2635.16
13	महाराष्ट्र	0	0.00	650	3575.00	366	2013.00
14	मणिपुर	108	432.00	75	375.00	89	445.00
15	ओडिशा	10	10.00	1,489	7281.21	724	3540.36
16	पंजाब	0	0.00	163	270.58	186	295.74
17	राजस्थान	524	2944.88	68	252.96	357	1328.04
18	सिक्किम	2	5.20	44	143.50	46	154.94
19	तमिलनाडु	0	0.00	692	2768.00	846	3553.20
20	त्रिपुरा	0	0.00	18	90.00	25	125.00
21	उत्तर प्रदेश	82	134.85	97	248.50	6	18.60
22	उत्तराखंड	0	0.00	28	131.60	126	386.20
23	पश्चिम बंगाल	0	0.00	99	256.41	0	0.00
कुल		**2,372**	**52,47.76**	**8,911**	**293,68.25**	**8,368**	**268,16.17**

स्रोत: प्रबंध पोर्टल, शिक्षा मंत्रालय